

आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ



यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2026

U.P. AYUSH U.G. Counselling-2026

वेबसाइट- <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in>

Help Line No. (Mob.)- 7376520591, 7376524687

Email Id- upug.avushcounseling@gmail.com

विवरण पुस्तिका (Brochure)

शैक्षणिक सत्र (Academic year) 2026-27

उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विधा के राजकीय महाविद्यालयों/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के यू0जी0 पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु।

For the admission in UG courses (BAMS, BUMS & BHMS) of Ayurveda, Unani & Homoeopathy in Government Colleges /Private Colleges, State Universities/Minority Institutions.

शासनादेश संख्या-2435/96-आयुष-1-2026-ई0पत्रा0-1935148, आयुष अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 15 सितम्बर, 2026 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) मेडिकल कालेजों में यू0जी0 कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

[Handwritten signatures and initials]

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
		03
1	पलो चार्ट	04-05
2	अहंताये	05-06
3	आरक्षण एवं सम्बन्धित दिशा निर्देश	06-07
4	पंजीकरण प्रक्रिया	07-08
5	धरोहर धनराशि	08-09
6	अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया	09
7	च्चाईस फिलिंग	10-12
8	काउन्सिलिंग, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया	12
9	त्याग पत्र के सम्बन्ध में दिशा निर्देश	13
10	आयुष कालेजों का शुल्क विवरण	13-14
11	सहायता केन्द्र (HELP DESK)	14-15
12	विविध	16-22
13	कालेजवार स्वीकृत सीटों का विवरण	23-28
14	सामान्य निवास प्रमाण-पत्र का शासनादेश एवं प्रारूप (अनुलग्नक-1)	29-32
15	अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची एवं प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-2)	33-35
16	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जातियों की सूची एवं प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-3)	36-37
17	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-4)	38-39
18	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का शासनादेश एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-5)	40-42
19	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले केन्द्रों की सूची (अनुलग्नक-6)	43-44
20	एनओसीओ प्रमाण पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-7)	45
21	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के प्रमाण पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-8)	46-55
22	आयुष महाविद्यालयों के सम्पर्क सूत्र एवं हाईपरलिंक (अनुलग्नक-9)	56-64
23	निजी क्षेत्र में स्थापित आयुष महाविद्यालयों की शुल्क संरचना (*अनुलग्नक-ए0,बी0 एवं सी0)	

1. फ्लो चार्ट (Flow Chart)

COUNSELLING PROCESS AT A GLANCE

REGISTRATION
<https://upayushcounseling.upsdc.gov.in>

PAYMENT OF REGISTRATION FEE &
DOCUMENTS UPLOAD

PAYMENT OF SECURITY AMOUNT

ONLINE DOCUMENT VERIFICATION

PUBLICATION OF STATE MERIT LIST

CHOICE FILLING AND LOCKING

PUBLICATION OF TENTATIVE SEAT ALLOTMENT

DOCUMENT VERIFICATION AT NODAL CENTRE

DOWNLOAD ALLOTMENT LETTER

ADMISSION AT ALLOTTED COLLEGE

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

2. अर्हतायें (Eligibility)

- 2.1 ऐसे अभ्यर्थी, जो नीट यू0जी0 2026 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुये हो तथा यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
- 2.2 बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 2.3 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यू0जी0 2026 की परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त किये हों।

1-अनारक्षित श्रेणी	न्यूनतम 50 परसेन्टाइल अंक
2-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) के अभ्यर्थी हेतु	
3-अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 45 परसेन्टाइल अंक
4-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 40 परसेन्टाइल अंक
5-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	

- 2.4 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा यदि अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।
- 2.5 प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उ0प्र0 से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- 2.6 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई भी एक अथवा दोनों परीक्षाएँ यदि उ0प्र0 से बाहर उत्तीर्ण की हो तथा उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ0प्र0 के निवासी होने का (डोमिसाइल/सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.7 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की सभी सीटों पर प्रवेश हेतु उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।
- 2.8 निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों में स्टेट कोटे (85 प्रतिशत) की सभी सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। स्टेट कोटों की 85 प्रतिशत सीटों पर उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण नियमों के अन्तर्गत नीट 2026 की मेरिट में न्यूनतम परसेन्टाइल अनुमन्य होंगे। उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों हेतु एन0टी0ए0 द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग का कटऑफ स्कोर अनुमन्य होगा।



- 2.9 निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों में यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित प्रदेश का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर आल इण्डिया के आरक्षण नियमों (ए0ए0सी0सी0सी0 2026 के ब्रोशर में उल्लिखित) के अनुसार आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर नीट 2026 की मेरिट में न्यूनतम परसेंटाईल अनुमन्य होंगे।
- 2.10 ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC-2026) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं स्ट्रे वैकेन्सी चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे, वह अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 2.11 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित हुई हो, ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी चक्र हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- 2.12 आयु-31 दिसम्बर 2026 या उस के पूर्व अभ्यर्थी ने 17 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो। अधिकतम आयु सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

समस्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि	दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 अथवा उससे पूर्व की होनी चाहिये।
-------------------------------	---

3. आरक्षण (Reservation)

- 3.1 यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 हेतु आरक्षण-शासनादेश संख्या-2435/96-आयुष-1-2026-ई0पत्रा0-1935148 दिनांक 15 सितम्बर, 2026 के अनुसार अनुमन्य होंगे।
- 3.2 राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण:-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:-

(क) उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

(ख) क्षैतिज आरक्षण (हॉरिजेन्टल)

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिये	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिये	20 प्रतिशत
5	एन0सी0सी0 कैंडेट के लिये, कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी अथवा बी सर्टिफिकेट	01 प्रतिशत

- 3.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2026 या उसके बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

[Handwritten signatures and initials]

- 3.4 आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- 3.5 भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण मान्य नहीं होगा।
- 3.6 दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम-2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन उप श्रेणी का प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमीशन सेन्ट्रल काउंसिलिंग कमेटी (ए.ए.सी.सी.सी.-2026) हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 3.7 एन0सी0सी0 नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps) प्रमाण पत्र (एन0सी0सी0 कैडेट के लिये, कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी अथवा बी सर्टिफिकेट) हेतु निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी (महानिदेशक/उप-महानिदेशक) द्वारा जारी हो, ही मान्य होगा।
- 3.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- 3.9 उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियाँ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि NEET यू0जी0-2026 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0-2026 की काउन्सिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3.10 शासनादेश संख्या-22 सी0एम0(1)/26.03.2013 दिनांक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है :-
- बिन्दु संख्या-3 जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तदनुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।
- बिन्दु संख्या-4 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति का आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- 3.11 स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

4. पंजीकरण प्रक्रिया (Registration)

- 4.1 पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी आयुष काउंसिलिंग की अधिकृत वेबसाइट <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर लॉगिन करते हुये नीट यू0जी0-2026 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 का प्रयोग करेंगे तथा स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण फार्म भरेंगे।

- 4.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आयुष काउंसिलिंग की वेबसाइट पर पंजीकरण फार्म स्वयं भरे। एजेण्ट या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण फार्म न भरवायें, साथ ही पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें, क्योंकि ओटीपी आदि सूचनायें उन्हीं पर प्राप्त होगा।
- 4.3 पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् अभ्यर्थी का नाम, माता/पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी/उपश्रेणी, पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी इत्यादि अंकित करना होगा।
- 4.4 पंजीकरण फार्म भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को एक पारावर्ड बनाना होगा। इस पासवर्ड का प्रयोग अभ्यर्थी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी व्यक्ति से साझा न करें।
- 4.5 काउन्सिलिंग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को ₹0 2,000/- (रुपये दो हजार) मात्र आनलाइन प्रक्रिया (गेटवे के माध्यम से) द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
- 4.6 स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष-2026 की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें पंजीकरण शुल्क ₹0 2,000/- (रुपये दो हजार) मात्र देय होगा।
- 4.7 प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया हो, परन्तु उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो, यदि ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग करना चाहते हों तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुये ₹0 1,000/- (एक हजार) मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा।
- 4.8 पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं (Non refundable) किया जायेगा।
- 4.9 पंजीकरण के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद डाउनलोड करनी होगी।

5. धरोहर धनराशि (Security Money) एवं भुगतान की प्रक्रिया

- 5.1 धरोहर धनराशि जमा करने के पूर्व अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु अपनी अर्हता स्वयं जाँच ले।
- 5.2 पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को आनलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा। इसका लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5.3 धरोहर धनराशि के भुगतान का विवरण निम्नवत् है:-

विकल्प	धरोहर धनराशि
केवल राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु (For Government Colleges only)	₹0 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)
केवल निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटा/85 प्रतिशत राज्य कोटा की सीट हेतु (For Private Colleges only)	₹0 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Government & Private Colleges both)	

- 5.4 धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह होगा।
- 5.5 धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि की रसीद डाउनलोड करनी होगी।
- 5.6 आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित/अनावंटित अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि सभी चक्रों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
- 5.7 अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में गेटवे के माध्यम से वापस की जायेगी जिस बैंक खाते से अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि का आनलाइन भुगतान किया गया हो।

- 5.8 अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि का भुगतान अपने अथवा अपने माता/पिता के बैंक खाते से ही करें, साइबर कैंफे अथवा किसी अन्य माध्यम से भुगतान न करें, जिससे रिफण्ड के समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5.9 यदि आयुष एडमिशन सेन्ट्रल काउंसिलिंग कमेटी (ए0ए0सी0सी0सी0-2026) से अभ्यर्थी को तृतीय/स्ट्रे वैकेंसी चक्र से सीट आवंटित होती है, तो उसे यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 द्वारा प्रवेशित सीट छोड़नी होगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का शिक्षण, शुल्क (प्रवेश शुल्क छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

6. अभिलेखों का सत्यापन (Document Verification) प्रक्रिया

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन एवं भौतिक रूप से कराया जायेगा।

(क) आनलाइन सत्यापन-यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन कराया जायेगा, जिस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

1. हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक-पत्र।
3. नीट यू0जी0-2026 स्कोर कार्ड।
4. आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (यदि लागू हो)।
6. अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जायेगा। आधार उपलब्ध न होने अथवा प्रमाणीकरण न हो पाने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट/पैन कार्ड/फोटो युक्त बैंक पासबुक/अन्तिम शैक्षणिक संस्था से निर्गत फोटोयुक्त पहचान-पत्र अपलोड करना होगा।

अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के आनलाइन सत्यापन के उपरान्त समस्त सत्यापित (Verified) अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट लिस्ट (State Merit List) काउंसिलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। इसके पश्चात अभ्यर्थी को च्वाइस फिलिंग करना होगा, तदोपरान्त प्रोविजनल सीट आवंटन (Provisional Seat Allotment) सूची जारी की जायेगी। प्रोविजनल सीट आवंटित अभ्यर्थी को ही भौतिक सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न करानी होगी।

(ख) भौतिक सत्यापन- अर्हता से संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही काउंसिलिंग स्थल (नोडल सेन्टर) राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हैनीमैन चौराहा, विराजखण्ड-10, गोमतीनगर, लखनऊ तथा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय करायी जायेगी। उक्त हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूलरूप में एवं स्वप्रमाणित एक-एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा।

1. NEET यू0जी0-2026 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
2. हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
3. सामान्य निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाणपत्र जो उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणपत्र-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट।
5. एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसी निगेटिव से बना हो जिसे अभ्यर्थी ने नीट यू0जी0-2026 की परीक्षा के समय अपलोड किया हो।
6. पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/पैनकार्ड/पासपोर्ट/अन्तिम शैक्षणिक संस्था से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र)। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे।
7. आनलाइन पंजीकरण का प्रिन्ट आउट।
8. धरोहर धनराशि का प्रिन्ट आउट।

नोट-

1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी ए0ए0सी0सी0सी0 के प्रारूप पर ही मान्य होंगे जो वर्तमान सत्र 2026-27 के लिए निर्गत किये गये हों।
2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र में किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विवाद/अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
3. मूल अभिलेख न होने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
4. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है और उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा हैं, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवंटित संस्था में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त समझा जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

7. च्वाइस फिलिंग

- 7.1 धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों में से च्वाइस फिलिंग करना होगा।
- 7.2 अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु आयुष विधा के उपलब्ध विकल्पों में से सभी विकल्पों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- 7.3 च्वाइस फिलिंग के पश्चात च्वाइस लाक करना अनिवार्य होगा। च्वाइस लाक न करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा।
- 7.4 काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों में सम्पन्न की जायेगी।
- 7.5 प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग तक पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
- 7.6 अभ्यर्थी पुनरावंटन के लिये च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।



8. काउन्सिलिंग, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया

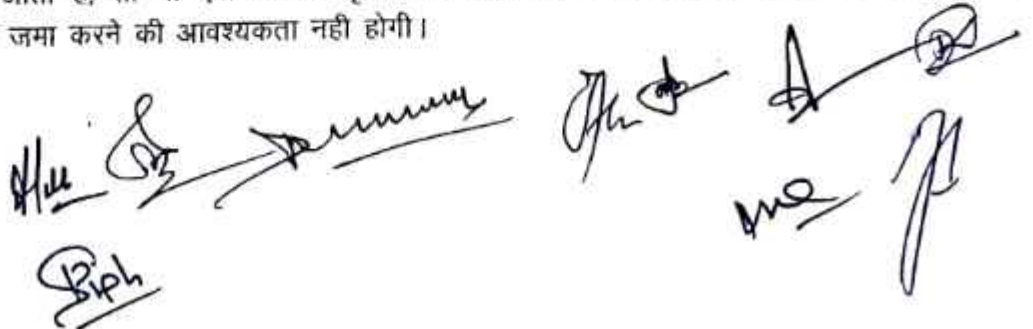
- 8.1 काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों में सम्पन्न की जायेगी। उक्त के पश्चात् भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों से रिक्त सीटों का आवंटन किया जायेगा।
- 8.2 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों की काउन्सिलिंग की समय सारिणी यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग बोर्ड-2026 द्वारा निर्धारित कर काउन्सिलिंग की अधिकृत वेबसाइट www.upayushcounseling.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी। प्रत्येक चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग की विज्ञप्ति प्रदेश के बहुप्रसारित न्यूनतम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करायी जायेगी।

8.3 प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग-

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रोविजनल सीट आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा नोडल सेन्टर पर अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा, तदोपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अपना आवंटन पत्र (Allotment Letter) डाउनलोड कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- यदि सीट आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो भी ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सीट आवंटन के उपरान्त अभिलेखों के भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी।

8.4 द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग-

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया हो, वह पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुयी हो, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, तथा पुनरावंटित सीट में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- द्वितीय चक्र में भी यदि सीट आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो भी ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।



- (v) आवंटन के उपरान्त अभिलेखों के भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी।

8.5. तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग—

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चक्र में पंजीकरण नहीं कराया हो, वे पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2026 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो, तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित हैं, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
- (iv) प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प तृतीय चक्र में न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, तथा पुनरावंटित सीट में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- (v) राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट (Provisional Allotted Seat) पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (vi) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में आल इण्डिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र में काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी। तृतीय चक्र के उपरान्त यदि सीटें अवशेष रहती हैं, तो उन सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- (vii) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में आरक्षित उपश्रेणी/श्रेणी के अभ्यर्थियों की आवंटन प्रक्रिया की जायेगी। उसके पश्चात् यदि आरक्षित उपश्रेणी/श्रेणी की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

CONVERSION ALGORITHM

क्र0सं0	श्रेणी (जिनका परिवर्तन होना है)	श्रेणी (जिनमें परिवर्तित होगी)
1	अनुसूचित जनजाति-ST (PwD/FF/EA/NCC)	अनुसूचित जनजाति-ST
2	अनुसूचित जाति-SC (PwD/FF/EA/NCC)	अनुसूचित जाति-SC
3	अनारक्षित-UR (PwD/FF/EA/NCC)	अनारक्षित-UR
4	अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC (PwD/FF/EA/NCC)	अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS (PwD/FF/EA/NCC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS
6	अनुसूचित जनजाति-ST	अनुसूचित जाति-SC
7	अनुसूचित जाति-SC	अनारक्षित-UR
8	अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC	अनारक्षित-UR
9	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS	अनारक्षित-UR

[Handwritten signatures and marks]

8.6. स्ट्रे वैकेंसी चक्र की काउन्सिलिंग-

- (i) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- (ii) अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उसके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु स्ट्रे वैकेंसी चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट (Provisional Allotted Seat) पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (iv) स्ट्रे वैकेंसी चक्र में कोई पुनरावंटन अनुमन्य नहीं होगा।

8.7 प्रवेश प्रक्रिया -

- (i) नोडल सेंटर पर भौतिक सत्यापन के उपरान्त आवंटन पत्र डाउनलोड कर समस्त अभ्यर्थियों को आवंटित आयुष कालेज में प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी।
- (ii) प्रवेश के समय भौतिक सत्यापन हेतु समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iii) काउन्सिलिंग से आवंटन पत्र प्राप्त सभी अभ्यर्थियों हेतु सम्बन्धित कालेज स्तर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन एवं मेडिकल बोर्ड का गठन कर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें (Resignation)

- 9.1 प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग के 48 घण्टे पूर्व (उदाहरण स्वरूप यदि च्वाइस फिलिंग दिनांक 14-10-2026 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होनी हैं तो अभ्यर्थी को दिनांक 12.10.2026 को प्रातः 9:59 बजे तक) अपनी सीट से काउन्सिलिंग के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन त्यागपत्र देता है तो उसका शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रु0 एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 9.2 प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त त्यागपत्र महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नोडल आफिसर्स द्वारा निर्धारित समय अन्तर्गत एन0आई0सी0 के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर अपडेटेड त्यागपत्र ही मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित संस्था को समयान्तर्गत त्यागपत्र दिये जाने पर यदि संस्था द्वारा पोर्टल पर त्यागपत्र की सूचना समयान्तर्गत अपडेट नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 9.3 अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को संबंधित कालेज में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।
- 9.4 तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु त्यागपत्र किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।



10. सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र/अल्पसंख्यक क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क एवं अन्य जानकारीयों

(College Fee)

- 10.1 सरकारी क्षेत्र के आयुष कालेजों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क आदि देय होंगे।
- 10.2 निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- 10.3 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय शुल्क का विवरण तथा इन कालेजों/विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण काउन्सिलिंग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित शुल्कों के अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 10.4 किसी भी सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों द्वारा यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 15.09.2026 का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।
- 10.5 अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह सीट आवंटन हेतु विकल्प चयन करने से पूर्व सम्बन्धित कालेजों/विश्वविद्यालयों से स्वयं सम्पर्क कर सभी प्रकार की जानकारीयों प्राप्त कर लें। आवंटन के पश्चात् किसी प्रकार की भी असुविधा हेतु काउन्सिलिंग बोर्ड अथवा आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन उत्तरदायी नहीं होगा।

11. सहायता केन्द्र (Helpdesk)

ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Continuously go through website for updated information about online counselling

<https://upavushcounseling.upsdc.gov.in>

- यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2026 से सम्बन्धित समस्त जानकारी के लिये उपरोक्त काउन्सिलिंग पोर्टल पर शासनादेश, विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध हैं इसके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य दिशा-निर्देश/सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी।
- इसके अतिरिक्त समस्या का समाधान न होने की दशा में निम्नलिखित सहायता केन्द्रों से सम्पर्क कर समाधान प्राप्त करें।
- यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2026 में भुगतान की गयी राशि का बैंक द्वारा चार्जबैक अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी किसी भी तरह के रिफण्ड की मांग के लिये काउन्सिलिंग आधिकारिक ई-मेल पर सम्पर्क करें।
- अभ्यर्थियों की शिकायत/समस्याओं का निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित अधिकारियों का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:-

1. डा0 मंयक मोहन, लखनऊ। (मोबाइल हेल्प लाइन हेतु)	मोबाइल न0-7376524687
2. डा0 विष्णु शर्मा, अलीगढ़। (मोबाइल हेल्प लाइन हेतु)	मोबाइल न0-7376520591
3. डा0 राजकुमार, गाजीपुर। (ई-मेल कार्यों हेतु)	ई-मेल प्रभारी
4. डा0 जितेन्द्र कुमार, अलीगढ़। (ई-मेल कार्यों हेतु)	ई-मेल सह-प्रभारी

(हेल्प लाइन नम्बर पर सूचना प्राप्त करने या समस्याओं का निवारण/समाधान करने का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)

(Handwritten signatures and marks)

➤ बैंक सहायता (Bank help desk):-

- भारतीय स्टेट बैंक से संबंधी समस्या के लिये दिये संपर्क सूत्र पर संपर्क करें।

Email: sbiepay@sbi.co.in

Mobile No-9919443034

Phone: +91-22-6536 1671 (24*7 customer care service)

- आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक से संबंधी समस्या के लिये दिये गये किसी भी संपर्क सूत्र पर संपर्क करें।

Email: mayank.bha@icicibank.com, singh.priyam@icici.bank.in

Phone: 1800 1080 (24*7 customer care service)

मोबाइल सम्पर्क सूत्र-Abhinay Patel- 7753942974, Priyam Singh- 7235058715

नोट- अभ्यर्थी सभी ई-मेल केवल आधिकारिक ई-मेल (upug.avushcounselling@gmail.com) पर ही निम्न विवरण के साथ भेजें। अन्यथा उनके ई-मेल पर विचार नहीं किया जायेगा।

नाम-

नीट रोल नंबर-

पंजीकरण संख्या-

मोबाइल नंबर-

ईमेल आईडी-

- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो सूचनायें विवरण पुस्तिका (Brochure) में उपलब्ध है उन सूचनाओं से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायेगा।

12. विविध (Miscellaneous)

- **Disclaimer:-**Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh & National Informatics Centre (NIC) will conduct the online registration/counselling procedure as per the information filled by the candidates. Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh or National Informatics Centre (NIC), UP will not be responsible for delay in registration/counselling process due to any kind of technical fault or electricity failure.
- **अस्वीकृति-**आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण/काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाओं के अनुसार संचालित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचनाओं के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उ0प्र0 किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या विद्युत आपूर्ति बाधा के कारण ऑनलाइन पंजीकरण/काउन्सिलिंग प्रक्रिया में विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।



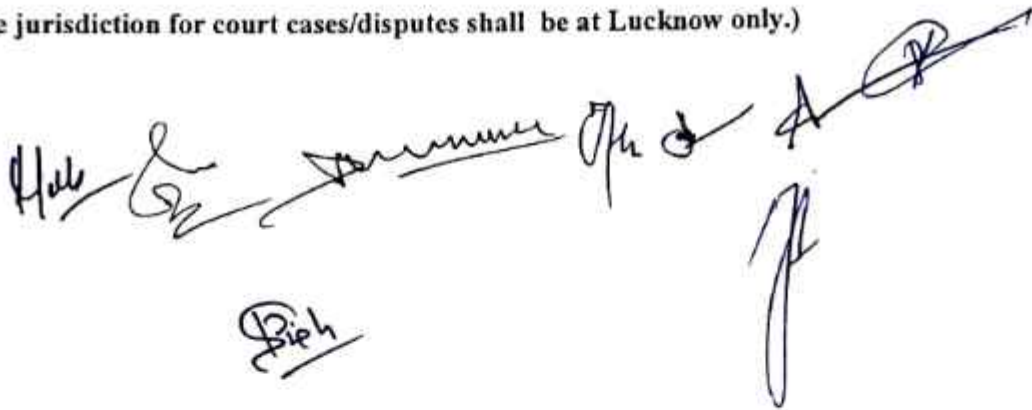


Candidates are required to assess their eligibility carefully themselves before applying and depositing the registration fee and security money. The eligibility will be checked at the time of document verification at nodal center and at the time of admission in state AYUSH Colleges/Institutions/ Universities as detailed in brochure/website. Deposited registration fee will not be refunded in any case.

अभ्यर्थी आवेदन/पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अपनी अर्हता के सम्बन्ध में भली-भाँति स्वयं आंकलन कर लें। विवरण पुस्तिका/वेबसाइट में दिये गये निर्देशों के अनुसार काउन्सिलिंग के समय नोडल सेन्टर पर मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रदेश के आयुष कालेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की वापसी, किसी भी स्थिति में नहीं होगी।

- Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions, will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.
- प्रवेश प्रक्रिया अथवा उसके उपरान्त शैक्षणिक सत्र के समय, यदि अभ्यर्थी की कोई सूचना अनुचित/गलत पायी जाती है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर, उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये सम्बन्धित को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- काउन्सिलिंग में किसी भी प्रकार का विवाद/कोर्टकेस का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

(The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.)

A collection of handwritten signatures and initials in black ink. There are several distinct signatures, some appearing to be 'Hali', 'Bish', and others that are more stylized or abbreviated. The signatures are scattered across the lower half of the page.

13. कालेजवार स्वीकृत सीटों का विवरण (Available Seats)

राजकीय आयुष कालेजों एवं उनमें उपलब्ध स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों एवं निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

आयुर्वेद

क्र० सं०	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ।	64	प्रवेश शुल्क- 1000/- (केवल प्रवेश के समय)
2	ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत।	54	काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000/- (केवल प्रवेश के समय)
3	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झाँसी।	64	अनारक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क- 10,000/- प्रतिवर्ष
4	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा।	64	विकास शुल्क- 2000/- प्रतिवर्ष
5	एस०आर०एम० राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बरेली।	64	अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष
6	एस.के.डी. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामपुर-मुजफ्फरनगर।	64	कुल शुल्क- 19,000/- आरक्षित श्रेणी के लिये
7	एल.बी.एस. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हण्डिया प्रयागराज।	64	शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000/- प्रतिवर्ष)
8	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी।	64	विकास शुल्क- 2000/- प्रतिवर्ष
	योग	502	अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 14,000/- होगा।

क्र० सं०	निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कालेज	सीट	शुल्क
1	एस.एन.एस.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर	60	*Annexure-A
2	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	60	
3	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हास्पिटल, चुनार, निर्जापुर।	100	
4	एस०ए०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हरहुआ, वाराणसी	60	
5	अरनव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सततरेख, बाराबंकी।	60	
6	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रिसर्च सेन्टर, मलापुर, चन्दौली।	60	
7	आर०बी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जलेश्वर रोड, आगरा	100	
8	राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, नबाबगंज, बरेली।	60	

[Handwritten signatures and marks]

9	गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा बालापार मानीसम, गोरखपुर।	100
10	सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड महामृत्युंजय हॉस्पिटल, इटोरा चन्देश्वर, आजमगढ़	60
11	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लाडनपुर कोपामंज, मऊ।	100
12	वैद्य यशवन्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर।	100
13	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	100
14	आर0के इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बुखारा रोड, बरेली।	60
15	विवेक कालेज ऑफ आयुर्वेदिक साइन्सेज एण्ड हॉस्पिटल, बिजनौर।	100
16	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद।	100
17	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ।	100
18	एन्काइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, परवर पुरब, मोहनलालगंज, लखनऊ।	100
19	महात्मा गांधी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर खसरवारा बन्धरा, लखनऊ।	100
20	एस0के0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, छाता, मथुरा।	100
21	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एवं रिसर्च सेंटर, लखनऊ।	100
22	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, माऊपुर, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	100
23	इंस्टीट्यूट आफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, विमलार्जुन नगर भागूखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ।	100
24	धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मीरगंज, बरेली।	60
25	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, घोलापुर वाराणसी।	60
26	के0वी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बक्शुपुर, गाजीपुर।	100
27	सी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मरेहारा रोड, एटा।	60
28	विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, हरदोली कानपुर नगर।	60
29	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रुड़की रोड पो0 बरेली, मुजफ्फरनगर।	90
30	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुडाना, अमरोहा।	100
31	जी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हॉस्पिटल, एन0एच0 24 पिलखुआ, हापुड।	100
32	भगवन्त आयुर्वेदिक कालेज एवं हॉस्पिटल, मुजफ्फर नगर।	60

[Handwritten signatures and marks]

33	आर०के० आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, राठियांव, आजमगढ़।	60
34	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, गान्धाना, कानपुर।	100
35	श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, धनुपुरा, मुरादाबाद।	100
36	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कोइलहा, कौशाम्बी।	54
37	ओ०डी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, कोयल, राया, मधुरा।	52
38	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर एस०डी० सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	100
39	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, घुनार, मीरजापुर।	95
40	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, पंछी, मेरठ।	44
41	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, सुन्दरपुर, सहारनपुर।	42
42	श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलीगढ़।	100
43	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, ग्राम व पोस्ट-गौरहा, कासगंज।	48
44	नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुबेरपुर, आगरा।	100
45	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्राम बक्काखेड़ा, माल, मलिहाबाद रोड, लखनऊ।	50
46	कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हासमपुर, पौ० झालू जिला बिजनौर।	57
47	एस०सी०पी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा।	90
48	मंगलायतन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अलीगढ़।	51
49	ए०एन०ए० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	57
50	बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, मरतीगंज, आजमगढ़।	51
51	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, मिर्जापुर, सहारनपुर।	57
52	डा० शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नयनसंद, गौराबादशाहपुर, जौनपुर।	57
53	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, आगरा रोड, हाथरस।	49
54	शान्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज, शान्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, बलिया।	36
55	स्वाती हास्पिटल एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, तबली, मुजफ्फरनगर।	60
56	कुँवर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर आदर्श इन्स्टीट्यूट एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह, सहारनपुर।	75

[Handwritten signatures and marks]

57	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गालेज पार्क, घेटर मोएडा।	95
58	सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, गौरगंज, बरेली।	57
59	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, अलीगढ़।	100
60	श्री सन्तानपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर।	60
61	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड मेडिकल साइन्स, कोठी मंझाना, कानपुर नगर।	80
62	आईओआईएनटीओ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, मेरठ।	54
63	प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, झोंझर, बुलन्दशहर।	57
64	श्री राम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ।	54
65	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, जे०पी० नगर।	60
66	द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल, खुशालीपुर, सहारनपुर।	51
67	जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंसेज, मोहनलालगंज, लखनऊ।	42
68	रोहितखण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, दोहरा रोड बरेली।	51
69	डा० सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज फखरपुर, महसौ, बहराईघ।	60
70	गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, लखनऊ।	100
71	कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, नवाबगंज, बरेली।	60
72	श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर छाता, मथुरा।	95
73	एम०डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, सिकन्दरा, आगरा।	60
74	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	100
	योग	5491

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature: Bish

Handwritten signature: MS

होम्योपैथी

क्र०सं०	राजकीय होम्योपैथिक कालेज	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ।	106	प्रवेश शुल्क- 1000/- (केवल प्रवेश के समय)
2	प० जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनपुर, कानपुर नगर।	106	काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000/- (केवल प्रवेश के समय)
3	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, फाफामऊ, प्रयागराज।	106	अनारक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क- 10,000/- प्रतिवर्ष
4	राजकीय के०जी०के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाइनपार, मुरादाबाद।	106	विकास शुल्क- 2000/- प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष
5	राजकीय डा० बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।	32	कुल शुल्क- 19,000/- आरक्षित श्रेणी के लिये
6	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, रौजा, गाजीपुर।	54	शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000/- प्रतिवर्ष) विकास शुल्क- 2000/- प्रतिवर्ष
7	शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर।	106	अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष
8	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, छेरत, अलीगढ़।	106	कुल शुल्क- 14,000/- होगा।
9	राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़।	106	
योग		828	

क्र०सं०	निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	100	*Annexure-B
2	जी०सी० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, चन्द्रिका देवी रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	100	
3	नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, तहसील-एत्मादपुर, आगरा।	90	

4	सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गुलेरिया, अमरोहा।	54	
योग		344	

यूनानी

क्र०सं०	राजकीय यूनानी कालेज	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, बिजनौर रोड़, निकट रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ।	64	प्रवेश शुल्क- 1000/- (केवल प्रवेश के समय) काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000/- (केवल प्रवेश के समय)
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज।	64	अनारक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क- 10,000/- प्रतिवर्ष विकास शुल्क- 2000/- प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 19,000/- आरक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000/- प्रतिवर्ष) विकास शुल्क- 2000/- प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 14,000/- होगा।
योग		128	

	निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा वाया सरायमीर आजमगढ़।	50	*Annexure-C
2	जामिया तिब्बिया, देवबन्द, जी-टी रोड, देवबन्द, जिला-सहारनपुर।	60	
3	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, न्यू बॉस निकट तलहेड़ी घुंगी, देवबन्द, सहारनपुर।	60	

[Handwritten signatures and marks]

4	अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए०सी०एन० हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़।	60
5	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ।	60
6	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हयात काम्पलेक्स, हरदोई रोड, काकोरी, लखनऊ।	57
7	अल्तामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।	60
8	डा० अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ।	60
9	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कालेज, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग, स्टेट हाइवे-57 सहारनपुर -247121	48
कुल योग		515

*Annexure-A, B & C में उपलब्ध कराये गये निजी आयुष कालेजों के शासन द्वारा निर्धारित शुल्क में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना काउन्सिलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

➤ नोट- निजी कालेजों का शुल्क औपबन्धित है। समय समय पर निजी संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शुल्क का उल्लेख किया गया जिसकी विस्तृत सूचना (काशन मनी रिफण्डेबल, शिक्षण शुल्क तथा छात्रावास शुल्क) उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निजी कालेजों का विकल्प चुनने से पूर्व वह शुल्क के सम्बन्ध में संबंधित कालेज से स्वयं जानकारी प्राप्त कर लें।

- 1- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक कालेजों की सीटों में ई०डब्ल्यू०एस० कोटे की सीटें सम्मिलित हैं।
- 2- काउन्सिलिंग में उन्हीं आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है, जिनको शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु भारत सरकार से प्रवेश की अनुमति प्राप्त है। काउन्सिलिंग के मध्य में यदि किसी संस्था को सम्बन्धित आयोग से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त होती है अथवा सीटों में वृद्धि होती है, तो प्राप्त सीटों को उस चक्र की च्वाइस फिलिंग से 24 घण्टे पूर्व नियमानुसार सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा। कालेज के सम्मुख अंकित सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि भी हो सकती है।
- 3- यदि विवरण पुस्तिका एवं सम्बन्धित शासनादेश में कोई भिन्नता पाई जाती है तो शासनादेश में निहित व्यवस्था प्रभावी मानी जायेगी।
- 4- आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारित न होने के कारण न्यूनतम निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा।

(डा० नारायण दास)
निदेशक, आयुर्वेद सेवायें,
उ०प्र०।

(प्रो० जमाल अख्तर)
निदेशक, यूनानी, उ०प्र०।

(प्रो० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक, होम्योपैथी/सदस्य
सचिव, काउन्सिलिंग बोर्ड-2026

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में
प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतया: पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एलपीओजीओ-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को "नागरिकता" जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड़ कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को "नागरिकता" से जोड़कर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनदेश की प्रमाणितता वेब साइट <http://chasonadesh.pra.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधी साटिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या- शा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्ता करते हुए एताद्वारा डोगीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया पख्यापित की जाती है :-

- (1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तदनुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।
- (2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए "सक्षम अधिकारी" होंगे।
- (3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हों अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हों।
- (4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- (5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारी करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 संलग्न है।
- (6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हों, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, डाईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadeish.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर वर रखायी लेखा संख्या (पीओएनओ), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किया जायेगा।

- (8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जाँच हेतु संबंधित जाँच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जाँच आख्या माँग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जाँच आपतियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।
- (9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे हैं, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।
- (10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवार्थोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "दि सिटीजनशिप एक्ट-1955" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।
- 4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड़)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेशup.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)
आवेदन पर का प्रारूप।

आवेदक का नाम

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक).....

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो)

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र).....

पूरा वर्तमान पता

थाना तहसील

जनपद (तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक)

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान

(ख) जन्म तिथि(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता

आवेदक का नवीनतम फोटो
सत्यापनकर्ता द्वारा
हस्ताक्षरित व मुहर सहित
चस्पा दी जाये।

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(होनाही)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10- प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए

मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएँ सत्य हैं व
मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदन का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदन के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर
सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाये।)

सत्यापन

- 1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी/निवाहिनी स्थान नम्बर
ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट..... जिल्ला..... उत्तर प्रदेश को
मैं वर्षों से जानता हूँ।
- 2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

- 3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील
जिला..... मैं अच्छा सम्पत्ति है।
दिनांक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

- 1- यह शासनप्रेरित इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनप्रेरित की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasnadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है
 श्री/श्रीमती/कुमारी
 पुत्र/पुत्री/पत्नी
 भववन नंबर
 मुहल्ला थाना
 उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता

फोटो की एक प्रति चस्पा
 करने के बाद सक्षम
 अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित
 व मुहर लगाकर प्रमाणित की
 जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रा.रूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (वतकपदतपरतल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
 जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
 का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि. शिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ रेबित कर दिया जायेगा।

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

[Handwritten signatures and marks]

Annexure 2

प्रमाण-पत्र प्रारूप नं- 1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPOBC)

संख्या—

दिनांक—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी— पुत्र/पुत्री/
श्री— निवासी—
तहसील— नगर— जिला— उत्तर प्रदेश राज्य
की— पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित
जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी— पूर्वोक्त अधिनियम 1994
(यथासंशोधित) की अनुसूची-दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-
2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए
सकल वार्षिक आय आठ लाख रूप, या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में
यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी— तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम— तहसील— नगर जिला— में

सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हरतक्षर— दिनांक

पूरा नाम—

पद नाम तथा सील—

स्थान—

मुहर—

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटीमजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन
पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग
बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जारी दिनांक:

पुरुष/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की जोखिम (समाप्त) जाति के व्यक्ति है। यह उत्तर प्रदेश सेवा अनुभूति जाति, अनुभूति जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९५५ की अनुसूची १क के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी ध्यानीय किया जाता है कि:—

१) पूर्वक अधिनियम १९५५ (नया संशोधित) की अनुसूची २ (जिस कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थापित जाति, अनुभूति जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (समाप्त) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) की ओर ७५० लोक सेवा अनुभूति जाति, अनुभूति जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (समाप्त) अधिनियम २००२ एवं राज्यपाल संख्या 22/15/02 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००६ द्वारा संशोधित की गई है। ये आस्थापित नहीं है। इनके बाहर-पिछे की विवरण तीन वर्षों की अवधि के लिये वक्तव्य किया जात आता रूपसे या इनमें अधिक नहीं है तथा इनके बाहर कद अधिनियम १९५५ से तथा विहित छूट सीमा में अधिक मान्यता नहीं है।

SHAMBHU SHARAN Digitally signed by SHAMBHU SHARAN
DURVEINDE
DEPARTMENT
IN OFFICE OF
REVENUE,
CHHISKAHUMBLE
BARKAN, G. P. No.
Madan.

सहस्रम अतिकारी/सहस्रीसवार
विश्विज्ज हस्ताभारित
सवर, मधमऊ
दिनांक: []

[illegible]

नोट- दिनांक 01.04.2026 या उसके बाद
का निर्गत होना चाहिये।



FORM OF
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जो दिनांक:

खर

नोट-भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत
प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
खर, अलीगढ़
दिनांक:

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिस्टम से सुरक्षित है एवं आवेदक द्वारा स्वयं की भांग वन आवेदक के माध्यम से वापस किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrictup.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० संकित कर, तयामित किया जा सकता है।

[Handwritten signatures and marks]

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

1. अहीर, सादत, घाला यदुवर्गी
 2. जाट
 4. कुर्मी, सनऊ, कुर्मी-रौथवार, पटेल, पाटनवार, कुर्मी-मल्ल
 6. गुजर
 8. लोहा, अंबाज, लोधी, लोह, लोधी-राजपूत
 10. अरज, अर्जुनजीव
 11. अन्नामी कर्मी-कुलकर्ण, शाक्य
 13. कोवट, मल्लाह, मिश्र
 15. कोठरी
 17. कलगर
 19. कहेरिया, घाल, बघेल
 21. विजवा, गनसाव, कुपेरी, घक
 23. जोगी
 24. जोजा
 26. लोली, बरई, बीरसिया
 27. लेली, सामनी, सौगनगर, राठू, सौनियार, गन्धी, अर्जुन
 29. धीधर
 31. गट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
 33. कर्मी
 35. बरई, सीपी, विजयकर्मा, पांवाल, रमगढ़िया, जागिल, धौमान
 36. बारी
 38. बिन्द
 40. भर, राजभर
 42. भटियारा
 44. रबीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
 46. लोनिया, मोनिया, गोले टाकुर लोनिया-चौहान
 47. रमरेज, रंगवा
 49. इलवाई, भीदनवाल
 50. इज्जाम, भाई, रालमानी, अविता, श्रीवास्त
 51. राम सिखड़
 53. घोडी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
 54. कंसल, ठठेर, साकवार
 56. पीरसिकार
 58. गेव, मवातो
 60. रोह
 62. मोवी
 64. संधर सिंघाड़िया
 66. माडीगीर
 68. भाकड़
 70. लोतवा
 72. पटवा, पटहाच, पट्टेहल, देवबरी
 74. भनिया, काधेर, लखेर
 76. भोमिन (असर)
 77. मुहम्मद कायस्थ
 79. नदराज (धुनिया), मन्गरी, कण्डेरे, कण्डेरे, करण (कर्ण)
 5. गिरी
 7. गोरसाई
 8. गम्बोज
 12. कानन, कश्यप
 14. किरान
 16. गुजहार, प्रजापति
 18. गुजड़ा या राईन
 20. गद्दी, घोसी
 22. छीपी, छिपा
 25. डफाली
 28. दली, इंदरीसी, कवचुलस्थ
 30. नवकाल
 32. गायक
 34. झंझार, रंकी, मुकेशी, मुकेशानी
 37. बैरागी
 39. बिहार
 41. भुर्जी, भठभुजा, भूज, कानू, कशीधन
 43. भारी, सीपी
 45. लोहार, लोहार-तैपी
 48. भावरा
 52. राकवा-भिरती, भिरती-जन्नाली
 55. भावराई
 57. शेख सरवारी (गिराई), पीराही
 59. कोष्ठा/कोष्टी
 61. चुगर, संगतवाग, हरारी
 63. खापी
 65. कपुआ
 67. दांगी
 69. गाना
 71. जोरिया
 73. कलाल, कलवार, कलार
 75. गुराद, गुराई, धीम
 78. गिरली

Annexure 3

प्रमाण पत्र प्रारूप नं- 2

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संख्या—

दिनांक —

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी — पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
— निवासी — ग्राम—

तहसील— नगर—
— जिला— उत्तर प्रदेश राज्य की

जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी— तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम— तहसील— नगर—
जिला— में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर—
स्थान—
दिनांक —

हस्ताक्षर
पूरानाग
पदनाम तथा सील—

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी
मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिसपैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।



अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

<http://164.100.181.28/eDistrict/Certificate/Caste/Form/PrintCer>

1-संविदा के अनुसार जारी



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र.
प्रमाणपत्र क्र.

जारी दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

बाप का नाम

निवासी

धर्म

सहस्रीय

जिला



उत्तर प्रदेश राज्य की प्रजातंत्र जाति के अन्तिम है, जिस संविधान अनुसूचित जाति अधिनियम, 1950 (जिसके कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश) अधिनियम, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में सम्मिलित की गयी है।

तथा / अथवा पुनर्जात परिवार उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सम्मिलित/असंमिलित राज्य मोहल्ला सहस्रीय कागजियाबाद जनपद गाजीपुर में सम्मानित/असंमानित है।





BIRAG PANDEY Digitally Signed by
BIRAG PANDEY
OFFICIAL
DEPARTMENT
OF REVENUE
DEPARTMENT S-1
Prakash

सहाय अधिकारी/तहसीलदार
जिला हजाराबाद
कागजियाबाद, गाजीपुर
दिनांक:

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र डिजिटल विधि द्वारा जारी किया गया है तथा डिजिटल विधि का ही हस्ताक्षर है। अनधिकृत रूप से अधिकृत नहीं होगा अतः प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल <http://164.100.181.28/eDistrict/Certificate/Caste/Form/PrintCer> पर ही जारी किया जा सकता है। अधिकृत रूप से जारी किया गया है।

अनुसूचित जातियों की सूची (Schedule Caste of U.P.)

1. अंगरिया (सोनमढ़ जिले को छोड़कर)	2. बभिक	3. बादी
4. बहलिया	5. बैगा (सोनमढ़ जिले को छोड़कर)	6. बैसवार
7. बजगिया	8. बाजगी	9. बलहार
10. बलई	11. बात्मीकि	12. बंगाली
13. बनवानुश	14. बांसाफोड	15. बरवार
16. बसंई	17. बाघरिया	18. बैलदार
19. बैरिया	20. भंतु	
21. भुडगा (सोनमढ़ जिले को छोड़कर)	23. बौरिया	24. बनार, सुसिया, धुनिया
22. भुईयार जाटव		
25. धेरो (सोनमढ़ और बाराणसी जिले को छोड़कर)	26. दबंगर	27. धनगर
28. धानुक	29. धरकार	30. धोबी
31. डोय	32. डोमर	33. दुसाध
34. घसली	35. घसिया	
36. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, बाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनमढ़ जिलों को छोड़कर)	37. गबाल	38. गजपुत्र
39. हरी	40. हला	41. कलनाज
42. हाजर	43. कपड़िया	44. करवल
45. खराडा		
46. खरवार (बलियाँ को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गजौपुर, बाराणसी, और सोनमढ़ जिलों को छोड़कर)	48. कोल	47. खटीक
48. खोरोट	52. लालबेगी	50. कोरी
51. कोरगा	55. मुराहर	53. मद्रवार
54. गजहथी		54. गट
57. पंखा (सोनमढ़ और मिर्जापुर जिले को छोड़कर)	59. पासी, तरगाली	
58. परहिया (सोनमढ़ जिले को छोड़कर)	61. रायत	
60. पटरी (सोनमढ़ जिले को छोड़कर)	63. सिनोरिया	64. सांसिया
62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर)	68. दुरेड़ा	
65. शिल्पकार		

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. धारु
2. दुस्ता
3. भोटिया
4. राजी
5. जन्नासरी/जीनसारी
6. गोंड, धुरिया, नायग, ओझा, पटारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गजौपुर, बाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनमढ़ जिलों में)
7. खरवार, खरवार (देवरिया, बलिया, गजौपुर, बाराणसी एवं सोनमढ़ जिलों में)
8. खारवा (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनमढ़ जिले में)
10. बैगा (सोनमढ़ जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनमढ़ एवं मिर्जापुर जिले में)
12. अंगरिया (सोनमढ़ जिले में)
13. पटारी (सोनमढ़ जिले में)
14. धेरो (सोनमढ़ एवं बाराणसी जिले में)
15. भुडगा, धुनिया (सोनमढ़ जिले में)

नोट:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1954 अध्याससूचित के अनुसार आरक्षण अनुसूचित किया जाएगा।

[Handwritten signatures and marks]

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

नोट- दिनांक 01.04.2026 या उसके बाद
का निर्गत होना चाहिये।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अधिस्थित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोता (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कुई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियाँ जो जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिस्थित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV. अधिस्थित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

Download from UPYojana.net

Annexure 5

संख्या-18/1/2008-का-2/2015

सेवा

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. भारत प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. भारत विभाग/का/ कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. भारत मन्त्रालय/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आवक अनुसूच-2

तख्त दिनांक 21 अप्रैल, 2015

CM/JAR

विषय -

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारों को राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले अधिकार प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

Am
CM
21/4/15

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (सार्वजनिक रूप से विकसित, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारों और भूतपूर्व सेनानियों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015" के अन्तर्गत से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारों के रूप में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को सम्मिलित किया गया है।

936
2/5/15

2- इस संशोधन में मुख्य मंत्र कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (सार्वजनिक रूप से विकसित, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारों और भूतपूर्व सेनानियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (संशोधन) में प्राविष्ट स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के "अधिकार" जैसा कि एक अधिनियम की धारा-2 में वर्णित है, के निर्धारित प्रकार (संलग्न) में सहाय प्रमाणिकी/ अधिकारी अधिकृत जिलाधिकारी द्वारा ही अधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें।

3- अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त में अनेक अधीनस्थ, अधिकारियों/ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसंग कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक - संयोजक

भरदीप
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-18/1/2008(1)-का-2/2015-तख्त दिनांक

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपलब्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Bish" and "me".

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासिक रूप से विकास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आश्रय) अधिनियम, 1993 (संशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी
 ग्राम-..... तहसील-..... नगर-.....
 जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासिक रूप से विकास,
 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आश्रय) अधिनियम,
 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित).....
 पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र
 की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम, 1993
 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....
 को आश्रित हैं।

स्थान :
 दिनांक :

हस्ताक्षर
 पूरा नाम
 पदनाम
 मुहर

जिलाधिकारी
 (सील)

Handwritten signatures and initials are present, including a large signature on the left and several initials on the right.

Handwritten initials or mark at the bottom right.

Ayush Admissions Central Counselling Committee (AACCC)

Annexure-I

LIST OF CENTRES FOR DISABILITY CERTIFICATE

List of Medical Assessment Boards who will issue Eligibility Certificates as per NMC norms to PwBD candidates in support of their claim to avail 5% PwD reservation in UG.

S/No.	Name of Medical Assessment Board	City/State
1	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	Mumbai
2	Goa Medical College	Goa
3	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala
4	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan
5	Govt. Medical College and Hospital, Sector 32	Chandigarh
6	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala/Tripura
7	All Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	Mumbai, Maharashtra
8	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra
9	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)	New Delhi
10	Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals (LHMC)	New Delhi
11	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	Mysuru, Karnataka
12	Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saffai, Etawah-206130	Uttar Pradesh
13	King George Medical University, Lucknow, U.P.	Uttar Pradesh
14	Civil Hospital, Ahmedabad	Gujarat
15	New Civil Hospital, Surat	Gujarat
16	PDU Hospital, Rajkot	Gujarat
17	Assam Medical College, Dibrugarh	Assam
18	Gauhati Medical College, Guwahati	Assam
19	Silchar Medical College, Silchar	Assam
20	Madurai Medical College & Govt. Rajaji Hospital, Madurai	Tamil Nadu
21	Coimbatore Medical College Hospital	Tamil Nadu
22	Thanjavur Medical College, Thanjavur	Tamil Nadu
23	Zoram Medical College & Hospital Falkawn, Mizoram	Mizoram
24	Dr Sushila Tiwari Memorial Government Hospital (under Government Medical College, Haldwani)	Uttarakhand
25	Indira Gandhi Medical College & Hospital, Shimla-171001	Himachal Pradesh
26	Dr. Rajendra Prasad Govt. Medical College & Hospital, Kangra at Tanda.	Himachal Pradesh
27	Government Doon Medical College, Dehradun-248001	Uttarakhand
28	Pt. BD Sharma Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak	Haryana
29	AIIMS Bilaspur	Himachal Pradesh
30	All India Institute of Medical Sciences, Raipur, Chhattisgarh	Chhattisgarh
31	PL Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur Chhattisgarh	Chhattisgarh
32	Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur	Chhattisgarh
33	Late Shri Baliram Kashyap Memorial Medical College, Jagdalpur, Chhattisgarh	Chhattisgarh
34	Bangalore Medical College and Research Institute (BMCRI), Bengaluru - State Capital Centre	Karnataka

Ayush Admissions Central Counseling Committee (AACCC)

35	Mysore Medical College and Research Institute (MMCRI), Mysuru - Regional Centre (South Zone)	Karnataka
36	Karnataka Institute of Medical Sciences (KIMS), Hubballi - Regional Centre (Central Zone)	Karnataka
37	Belagavi Institute of Medical Sciences (BIMS), Belagavi - Regional Centre (West Zone)	Karnataka
38	Gulbarga Institute of Medical Sciences (GIMS), Kalaburagi - Regional Centre (North-East Zone)	Karnataka
39	Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS) Ranchi	Jharkhand
40	Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Jamshedpur	Jharkhand
41	SSG Hospital, Vadodara	Gujarat
42	G.G.Hospital, Jamnagar	Gujarat
43	Sir.T. Hospital, Bhavnagar	Gujarat
44	PMCH, Patna	Bihar
45	NMCH, Patna	Bihar
46	IGIMS, Patna	Bihar
47	DMCH, Darbhanga	Bihar
48	JLNCH, Bhagalpur	Bihar
49	ANMMCH, Gaya II	Bihar
50	SKMCH, Muzaffarpur	Bihar
51	GMC, Bettiah	Bihar
52	BMIMS, Pawapuri, Nalanda	Bihar
53	JKTMC&H, Madhepura	Bihar
54	Andhra Medical College/King George Hospital, Visakhapatnam	Andhra Pradesh
55	Guntur Medical College/Govt. General Hospital, Guntur	Andhra Pradesh
56	Kurnool Medical College/Govt General Hospital, Kurnool	Andhra Pradesh
57	RIMS, Imphal	Manipur
58	All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar	Bhubaneswar, Odisha
59	Andaman & Nicobar Islands Institute of Medical Sciences	Andaman And Nicobar
60	AIIMS Bijnagar	Telangana
61	AIIMS Jammu	Jammu
62	JIPMER Pondicherry	Pondicherry
63	AIIMS Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh
64	NAMO Medical Education & Research Institute	Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu
65	NEIGRIHMS	Shillong, Meghalaya

Note

PwBD CENTERS HAVE BEEN INCREASED FROM 16 TO 65 THIS YEAR BY NMC AND THE SAME CENTERS ARE TO BE USED BY CANDIDATES WHO WANTS TO TAKE ADMISSION UNDER PwBD CATEGORY IN AYURVEDA, SIDDHA, UNANI AND HOMOEOPATHY UG COURSES FOR A.Y. 2026-27.

Bih

[Handwritten signatures and marks]

Ayush Admissions Central Counseling Committee (AACCC)

Office of MCC
Ph. No.011-23061110
Email: adgmcc@nle.in



GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH
SERVICES
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108
By E-mail/Urgent
Date.04.07.2023
F.No U-12021/ 02/ 2023- MEC

To,

The Directors of Medical Institutes recognized as Disability Certification Centres
by MCC of DGHS

Sub: Regarding issuing of Disability Certificates to PwD candidates seeking admission in
AIQ seats of Ayush- UG and PG Courses

Ref: No. File AA-13011/2/2023-EP-I dated 20.06.2023

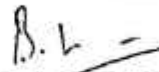
Sir,

I am directed to refer to the Letter No. AA-13011/2/2023-EP-I dated 20.06.2023 received from the Ministry of Ayush wherein they have stated that Disability Centres designated by Medical Counselling Committee of DGHS have been issuing Disability Certificates to PwD candidates seeking admission in AIQ seats of Ayurveda/ Siddha/ Unani/ Homeopathy (ASU&H) since academic year 2019-20 onwards. They have further requested to reiterate instructions to disability centres to provide disability certificates to ASU&H candidates for this academic year as well so that counselling and admission in ASU&H for both UG and PG Courses for the academic year 2023-24 may go smoothly.

In view of the above, all designated disability centres are requested to examine and provide Disability certificates to candidates seeking admission in AIQ seats of Ayurveda/ Siddha/ Unani/ Homeopathy (ASU&H) for both UG & PG Courses for the current academic year along with Medical & Dental candidates.

This issues with the approval of competent authority.

Yours Faithfully,


Dir. Prof. (Dr.) B. Srinivas
DDG(ME)
Tel.No.: 011-23061110

Copy to:

1. Chairman, MCC
2. Sh. Shashi Ranjan Vidyarthi, Director, M/o Ayush.



Annexure 7

एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र का प्रारूप

Ser No _____	
राष्ट्रीय कैडेट कोर NATIONAL CADET CORPS 	
प्रमाण-पत्र 'बी' CERTIFICATE 'B'	
सं / No	रैंक / Rank
नाम / Name	सुपुत्र / सुपुत्री / Son / Daughter of
यूनिट / Unit	जन्म तिथि / Date of Birth
ग्रुप / Group	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय / NCC Directorate
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कैडेट ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन रातु _____ में हुई प्रमाणपत्र 'बी' परीक्षा _____ श्रेणी में पास कर ली है। This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'B' Examination in _____ Grade, held in _____ under the authority of Ministry of Defence, Government of India.	
Unit CO/OC रक्षाग/ Place दिनांक/ Date	ग्रुप कमांडेन्टा Group Commander

Had *Summe* *John & Co* *A* *D*
Bish *J* *MO*

Ser No _____



Paste
Hologram
Here

Photo

प्रमाण-पत्र 'सी'
CERTIFICATE 'C'

सं / No

रैंक / Rank

नाम / Name

सुपुत्र/सुपुत्री/ Son / Daughter of

यूनिट/ Unit

જન્મ તિથિ / Date of Birth

ग्रुप/ Group

राष्ट्रीय कैंडेट कोर निदेशालय / NCC Directorate

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कैडेट ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन् _____ में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा _____ श्रेणी में पास कर ली है।
This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in _____ Grade, held in _____ under the authority of Ministry of Defence, Government of India.

Unit CO/OC

Group Commander

Certified that cadet data is verified from records held and is correct

स्थान/ Place

दिनांक/ Date

अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
Addl Director General, National Cadet Corps

उप-महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
By Director General, National Cadet Corps

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

ELIGIBILITY CERTIFICATE

1. This is to certify that Mr/Miss/Mrs. [] is the son/daughter/widow/wife of No. [] Rank PO Name []

2. His/Her date of birth as recorded in the service document and Matriculation certificate is []

3. The above named individual:

- Priority-I : Widows/Wards of Defence personnel killed in action.
- Priority-II : Wards of disabled in action and boarded out from service.
- Priority-III : Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.
- Priority-IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
- Priority-V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards:-
- Priority-VI : Wards of Ex-Servicemen.
- Priority-VII : Wives of:
- (i) Defence personnel disabled in action and boarded out from service.
- (ii) Defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
- (iii) Ex-servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Award.
- Priority-VIII : Wards of Serving Personnel.
- Priority-IX : Wives of Serving Personnel.

4. [] Son/Daughter/wife/widow of No. [] Rank PO Name []

is eligible for Nomination as a Govt. of India nominee under Ministry of Defence quota for admission in Medical/Dental Colleges in Priority- []

No. []
Dated: []
Stamp []

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के
सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत।

Dated:

Stamp

Note: For serving personnel eligibility certificate will be signed only by CO Unit or OIC Record.

Annexure 9

- राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी एवं वेबसाइट हाइपरलिंक सहित विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न०	कालेज की ई०मेल आई०डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक
1	राजकीय तकमिल उत्तिव कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रमाबाई स्थल, लखनऊ।	प्रो० अब्दुल कवी 9826212048	sttcollegeandhospita@gmail.com	https://sttcollege.lko.com
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज -211016	डा० वसीम अहमद, 9371566384	sumcallahabad@gmail.com	https://www.sumc.in

- राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी एवं वेबसाइट हाइपरलिंक सहित विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आई०डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक
1	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, दुड़ियागंज, लखनऊ।	प्रो० सुधा सिंह 8052649555	statayurlko@gmail.com	https://sac.lko.in
2	ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, पीलीभीत।	प्रो० अनुराधा 9410430430	lhac_plb@rediffmail.com	https://www.lhsacpilibhit.in
3	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, झांसी।	प्रो० माखन लाल 9453363904	ayurvediccollegejhansi@gmail.com	https://ayurvediccollegejhansi.com/
4	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा।	प्रो० सुमन यादव 9451965767	racatarra1995@gmail.com	https://www.gacatarra.in/
5	राजकीय एस०आर०एम० आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, बरेली।	प्रो० प्रीति शर्मा 9411919529	srmracbrly@gmail.com	http://www.ayurvediccollegebareilly.in/
6	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फर नगर।	प्रो० विनीता त्यागी 9412003351	swamiayumzn@gmail.com	http://skdgacmzn.in
7	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, हण्डिया, प्रयागराज।	प्रो० केदारनाथ उपाध्याय 9415285979	gachandia82@gmail.com	http://www.gac-handia-alld.org/
8	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, वाराणसी।	प्रो० दिनेश कुमार मौर्य 9456914676	racvaranasi65@gmail.com	http://racvns.co.in/

- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी एवं वेबसाइट हाइपरलिंक सहित विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्राचार्य का नाम एवं मो०न०	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक
1	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शांतीपुरम, फाफामऊ प्रयागराज -211013	प्रो० अनिल कुमार मिश्रा 8318045659	principallbshmcpraya yagraj2761@gmail. com	http://www.statelbshmc.com
2	राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर- 208024	प्रो० हर्षवर्धन सिंह भदौरिया 9826448686	pjlnrhmc@gmail.co m	http://Jawaharhmcgov.co.in/
3	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गोमतीनगर, लखनऊ-226010	प्रो० विजय कुमार पुष्कर 9415466529	nhmclko03@gmail. com	https://nhmclucknow.com
4	राजकीय डा० बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल देवकाली, अयोध्या- 224001	डा० अशीष कुमार सिंह 9795390211	principalbkhmail.com	https://bkhmcayodhya.in
5	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल रौजा, गाजीपुर- 233001	प्रो० राजेन्द्र सिंह 9827004022	ghmcgzp@gmail.co m	http://www.shmcgz.ac.in
6	राजकीय के०जी०के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाईनपार मुरादाबाद -244001	प्रो० डी०एस० कुशवाहा 9415809289	principalkgkhmcoll ege@gmail.com	https://www.kgkhomoeocollege.org/
7	राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चण्डेश्वर, आजमगढ़ -276128	प्रो० (डा०) हेमलता 9452461704	principalsdjh13@g mail.com	https://www.sdjhmc.ac.in/
8	राजकीय शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल दड़हलगंज, गोरखपुर -273402	प्रो० राजेश कुमार वर्मा 9918877844	principalshmcg@g mail.com	https://www.shmcg.ac.in
9	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, छेरत, अलीगढ़- 202122	प्रो० राम अशीष यादव 9454723873	rhmc.aligarh@gmail .com	https://www.shmca.ac.in

- निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी एवं वेबसाइट हाइपरलिंक सहित विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा।	डा० सी०पी० शर्मा 9899101747	college@bakson.net	https://baksonhmc.com/

[Handwritten signatures and marks]

2	जी०सी० होम्योपैथिक कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, बयशी का तालाब, लखनऊ।	डा० एजाज अजीज सुलेमानी 8175954582	ps.chairman@gcrg.in	https://gcherc.in
3	नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, तहसील-एल्मादपुर, आगरा।	प्रो० धीरज सिंह 8193896320 9837247776	nhmcagra@gmail.com	https://naiminalh.org/
4	सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गुलेरिया, अमरोहा।	डा० मनीष चन्द्र सिंह 8449330729	sshmcollege@gmail.com	www.sshmcollege.com

➤ निजी क्षेत्र के यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी एवं वेबसाइट हाइपरलिंक सहित विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो० न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक
1	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा बाया सरायमीर आजमगढ़-276001	डा० मोहम्मद अजमल 9450738768	1994uni0306istc@gmail.com	https://ibnesinatibbiya.org
2	जमिया तिब्बिया देवबन्द, जी-टी, रोड, देवबन्द- 247554 जिला सहारनपुर	प्रो० नसीर अली खान 9639947891	info@jamiatibbiya.com	https://jamiatibbiya.com
3	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर देवबन्द, नया बॉस निकट तलहेड़ी चुंगी, देवबन्द, सहारनपुर- 247554	डा० मोहम्मद असलम 9259083758	dumc_deoband@rediffmail.com	http://www.dumc.co.in
4	अलीगढ़ यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए०सी०एन० हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़-202127	प्रो० नूर आलम 9758935225	1993uni0309/@gmail.com	https://www.aligarhunanicollege.com
5	इरम यूनानी मेडिकल कालेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ-226026	प्रो० अब्दुल हलीम 9307219807, 9918054727	eumclucknow@gmail.com	https://eumclucknow.com
6	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हयात कम्पलेक्स, हरदोई रोड, काकोरी, लखनऊ-226101	प्रो० मशहूर रहमान 7459969090	info@hayatumc.com	https://hayatumc.com/

7	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।	प्रो० मुस्ताक हुरीन 9897632081	1992uni0308@gmail.com	www.aiumc.org
8	डा० अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद लखनऊ- 226101	डा० सिराजुद्दीन खान 9454598343	2007uni0312@gmail.com	http://draatch.org/
9	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कालेज, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग, स्टेट हाइवे-57 सहारनपुर -247121	डा० मोहम्मद शरीफ 9258113951	2015uni0427@gmail.com	https://www.glo-calunanicollege.in

➤ निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी एवं वेबसाइट हाइपरलिंक सहित विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक
1	एस.एन.एस.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर।	डॉ० अमित कुमार सिंह 9648336060 8840925002	2017ayu0510@gmail.com	www.snskayurveda.org
2	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	डॉ० सच्चीदानन्द बंगपाठी 9886173100	2014ayu0331@gmail.com	www.samcollegeazm.com
3	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हास्पिटल, चुनार, मिर्जापुर	डा० प्रभात कुमार सिंह 9415204632 9893926205	aims.mzp@gmail.com	www.apexims.in
4	एस०ए०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हरहुआ, वाराणसी	डा० देवेन्द्र सिंह 8765624982	sasayurveda@gmail.com	www.sasayurveda.com
5	अरनव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सतरिख, बाराबंकी।	डा० रामसागर 9250362005 8935003288	principalaamc2005@gmail.com	www.arnavayurvedicalcollege.com
6	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, चन्दौली	डॉ० गोपाल दास गुप्ता 8604551876	jeevakhospital125@gmail.com	www.jeevakaycollege.com
7	आर०बी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जलेश्वर रोड, आगरा	डा० ईश्वर चन्द राय 8630020285	rbamc.agra@gmail.com	www.rbamc.in

[Handwritten signatures and marks]

8	राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हॉस्पिटल, नवावगंज बरेली	डा० सुभाषचन्द्र रावत 9756985063	rajshree.institute@gmail.com	www.Rajshree.ac.in
9	गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा बालापार मानीराम, गोरखपुर।	डॉ० गिरीधर वेदान्तम 9731028625 9559991646	principal.ayurveda@mgug.ac.in	www.ayurveda.mgug.ac.in
10	सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड महामृत्युंजय हॉस्पिटल, इटोरा चन्देश्वर, आजमगढ़	डा० सरिता मिश्रा 9415257492	sdayurvedamh@gmail.com	Sarvdevayurveda.in
11	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लाडनपुर कोपागंज, मऊ	डा० मनोज कुमार कौशल 9721104818 9792379630	2016ayu0400@gmail.com	www.bamch.org.in
12	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर।	डा० अशोक द्विवेदी 9808024312	2002ayu0253@gmail.com	www.vydsayurvedamahavidyalaya.org
13	मेजर एस०डी० सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेदर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	डा० नीतू श्री 9839553056 9554964680	2006ayu0256@gmail.com	www.majorsdspgamc.org
14	आर०के० इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बुखारा रोड, बरेली।	डॉ० एम०पी० सिंह 7510071182 9411900445	2021ayu0639@gmail.com	www.rkiams.com
15	विवेक कालेज ऑफ आयुर्वेदिक साइन्सेज एण्ड हॉस्पिटल, बिजनौर	डा० देवशीष पाणिग्राही 7023095001 9927026893	registrar@vivekuniversity.ac.in	www.vcas.in
16	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर गाजियाबाद।	डा० शारदा 9690846336 9886540088	2017ayu0440@gmail.com djayurmedical@gmail.com	www.djayurvedacollege.org
17	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ।	डा० अनुपम सिंह 8279401470	2015ayu0410@gmail.com	www.mahaverayurveda.org.in
18	एन्काइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, परवर पूरब, मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा० इन्द्रेक्ष कुमार सिंह 9721244400	Ankerite_2006@yahoo.com	www.medicalcollege.ankeritegroup.com
19	महात्मा गांधी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर खसरवारा, बन्थरा, लखनऊ।	डॉ० राजीव पाण्डेय 8604317417	mgamcrlucknow@gmail.com	www.mgamc.in
20	एस०के०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा।	डा० सोहन लाल सैनी 9897118075	sksayurvedic@gmail.com	https://www.sksayurvedic.com

[Handwritten signatures and marks]

21	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एवं रिसर्च सेन्टर, लखनऊ	डा० आर०के० सिंह 7749655555	2016ayu0512@gmail.com	www.splamsr.org
22	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, भाऊपुर, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	डा० मंजूनाथ एन. एस. 9839012371 9670566661 9721279797	2015ayu03561sg@gmail.com	www.sbsjsmc.com
23	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, विमलार्जुन नगर भागूखेड़ा मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा० अरविन्द कुमार दूदे 8470835519	iamsayucollege@gmail.com	www.iamscoll ege.co.in
24	धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डा० शाबिर एम० 9410405769	mgfayur@gmail.com	www.damcbar ellly.in
25	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर वाराणसी	डा० आर०डी० तिवारी 9415202299 7985224288	shrikrishnaamc@gmail.com	www.shrikrish naayurvedicho spital.com
26	के०वी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बवशुपुर, गाजीपुर	डॉ० संजय चौहान 7052577000	2017ayu0450@gmail.com	http://kvsims.in/
27	सी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मरेहारा रोड, एटा।	डॉ० अरुण कुमार 6398263677	2021ayu0554@gmail.com	www.csayurve dicollege.com
28	विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हरदौली कानपुर नगर।	डा० ओमवीर सिंह 9336170403 8874333333	2022ayu0789@gmail.com	www.vimlagro up.com
29	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रुडकी रोड पो० बरेली, मुजफ्फरनगर।	डॉ० ए०के० सिंह 8755555047	bamcmzn@rediffmail.com	www.bamchrc .co.in
30	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुडाना, अमरोहा।	डॉ० कुमुदनी प्रदीप पवार 9837316618	2016ayu0372@gmail.com	www.smcjpna gar.com
31	जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, एन०एच० 24 पिलखुआ, हापुड।	डा० भावना सिंह 9873123002 9084734427	gsmedicalcollege@gmail.com, hr_gsamedicalcollege@gmail.com	www.gsayurve daMedical College.com
32	भगवन्त आयुर्वेदिक कालेज एवं हास्पिटल, मुजफ्फर नगर।	डा० संजय गुप्ता 7830601000	2017ayu0506@gmail.com	www.bhagwan tgroup.com
33	आर०के० आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, सठियांव, आजमगढ़	डॉ० के०एन० यादव 9451551275 7983001492	2016ayu0422@gmail.com	rkamc.org.in

[Handwritten signatures and marks]

34	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मानाना, कानपुर	डा० गुरुप्रसाद 7200715452	2021ayu0545@ramauniversity.ac.in	www.ramaayurveda.com
35	श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, धनुपुरा, मुरादाबाद।	डा० ललित कुमार शर्मा 9927047334	2017ayu0498@gmail.com	www.ssamch.com
36	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कोइलहा, कौशाम्बी।	डॉ० विनोद कुमार 7524037425	cssas.allahabad@gmail.com	www.cssas.org
37	ओ०डी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, कोयल राया, मथुरा।	डा० बी०के० पाराशर 9760913280 7060693169 9837920448	2024ayu0860@gmail.com	www.odmamcmathura.com
38	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर एस०डी० सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	डा० अम्बरीश कुमार बाथम 7007694973	2013@ayu0353@msds.ac.in	www.sbsdaddujiaaydmch.org
39	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, कोयल घुनार, मीरजापुर	डॉ० के०के० सिंह 96955 06241	2014ayu0325@gmail.com	https://santushtiamc.in/
40	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, पंछी, मेरठ।	डा० ज्योतसना 7409104104 9560205965	charakayurvedichospital@gmail.com	www.charakayurvediccollege.com
41	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, सुन्दरपुर, सहारनपुर	डॉ० देवीलाल चौधरी 9352428898	2015ayu0456@gmail.com	damcah.dooncollege.edu.in/
42	श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलीगढ़।	डा० अंकुर सिंघल 9760768689 8791102676	srisamc@yahoo.com , saialigarh@gmail.com	www.Srisaigroup.com
43	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, ग्राम व पोस्ट- गौरहा, कासगंज।	डा० नागेन्द्र सिंह 8340255460	2019ayu0499@gmail.com	www.kancrc.com
44	नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुबेरपुर, आगरा।	डा० प्रदीप कुमार श्रीवास्तव 8193896320 9837751453	namcagra@gmail.com	naiminathayurveda.org
45	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्राम बक्काखेड़ा, माल, मलिहाबाद रोड, लखनऊ।	डा० रुपाली महादिक 9335927927 9936247930	2014ayu0324@gmail.com	pamchrc.com

[Handwritten signatures and marks]

46	कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हासमपुर, पो० झालू जिला बिजनौर	डा० संदीप अग्रवाल 90455 40757 9319577700	krishnaeducationaltrust2014@gmail.com	www.krisnaayurvediccollege.in
47	एस०सी०पी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा।	डा० रिम्मल चौहान 9839673554 9532745186	2017ayu0460@gmail.com	www.scpmgro up.org
48	मंगलायतन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अलीगढ़	डॉ० रशिन चन्द्रशेखरन 9495032631	2012ayu0642@mangalayatan.edu	https://www.mangalayatan.in/
49	ए०एन०ए० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डॉ० एच० हरीहरा प्रसाद राव 9719233333	rahulanand.ana@gmail.com	www.anaamch.org.in
50	बाबा विस्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मरतीगंज, आजमगढ़।	डॉ० मनोरमा मिश्रा 9721458127	2021ayu0548@gmail.com	www.bvamch.com
51	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, मिर्जापुर, सहारनपुर।	डा० जॉन फिनबे 8281358227 9495050003	principal@glocalayurvedacollege.in	www.glocaluniversity.edu.in
52	डा० शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नयनसंद, गौराबादशॉहपुर, जौनपुर	डा० बिना त्रिपाठी 9044124004	drsamch2023@gmail.com 2023ayu0728@gmail.com	www.drshakuntalaayush.in
53	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, आगरा रोड, हाथरस।	डॉ० सरोज गौतम 8395244280 9838964378	2016ayu0378@gmail.com	www.premraghuayurvedicmedicollege.com
54	शान्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज, शान्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, बलिया	स्नेहमयी मिश्रा 9621648746	2015ayu0350@gmail.com	https://www.samco.in/
55	स्वाती हास्पिटल एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, तबली, मुजफ्फरनगर।	डॉ० राकेश कुमार पवार 9368665043 9311611876	swatihospitalandmedicalcollege@gmail.com	www.swatihospitalamc.org.in
56	कुंदर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेंटर आदर्श इन्स्टीट्यूट एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह सहारनपुर	डॉ० विकास शर्मा 7830810052	2014ayu0336@shobhituniversity.ac.in	www.sug.ac.in
57	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा।	डॉ० सुमान अली अकाब 9818951651 8448797705	info@ishanayurved.com	www.ishanayurved.com
58	सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डा० वीरेन्द्र प्रताप 9956108080	2024ayu0851@gmail.com	wwwsatyarakamch.com

[Handwritten signatures and marks]

59	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हॉस्पिटल, अलीगढ़	डा० रवि नारायण महन्ता 9760020064	jpmcollege@gmail.com	www.ayurvedicmedicalcollege.com
60	श्री सन्तनपात सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हॉस्पिटल, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर।	डा० हनी एस० आर० प्रसाद 9473644444	2022ayu0638@gmail.com	www.sssamc.in
61	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड मेडिकल साइन्स, कोठी मंधाना, कानपुर नगर।	डा० रचित पाण्डेय 9005003838 9198230575	principal.mpcams@mpgl.edu.in	www.mpcams.in
62	आई०आई०एम०टी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हॉस्पिटल, मेरठ।	डॉ० सुजीत कुमार दलाई 8280170678 8766159485	principal_ayurveda@limtindia.net	limtayurvediccollege.ac.in
63	प्रकाश इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, झोंझर, बुलन्दशहर।	डा० जगन्नाथ केशव हरयाण 8149480997	2015ayu0416@gmail.com	www.prakashayurvedicinstitute.in
64	श्री राम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ।	डा० अनुराग दीक्षित 9415335166 9984815390	srvamch@gmail.com	www.srvamch.com
65	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, जे०पी० नगर।	डॉ० आनन्द चौरसिया 7417578312	2017ayu0508@gmail.com	www.bmcjpnaagar.com
66	द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल, खुशालीपुर, सहारनपुर।	डॉ० दीपक अरविन्द देशपाण्डे 9557529922	2021ayu0551@gmail.com	www.dronacharyaayurvediccollege.com
67	जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंसेज, मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा० नितिन पाण्डे 8604054140	2019ayu0732@gmail.com	www.jiams.co.in
68	रोहिलखण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, दोहरा रोड बरेली।	डा० आर०के० तिवारी 9411087509	ramchorg@gmail.com	www.ramch.in
69	डा० सर्वेश कुमार पुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज फखरपुर, महसी, बहराईच।	डॉ० सतीश चन्द तिवारी 9569182641 9616808398	2023ayu0836@gmail.com	www.drsksamc.com
70	गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, लखनऊ	डॉ० अविनाश चन्द श्रीवास्तव 8174011113	gamch@goel.edu.in, 2022ayu0743@gmail.com	www.gamch.goel.edu.in
71	कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, नवाबगंज, बरेली	डॉ० संजय श्रीवास्तव 9286636273	kamch.bly@gmail.com	www.kritikaayurvediccollege.in

[Handwritten signatures and marks]

72	श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर छाता, मधुरा।	डा० रौरभ कुमार 9266949403	2009ayu0259sdamcra@gmail.com	shridhanvantari group.com
73	एमडीओ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, सिकन्दरा, आगरा	डॉ० अत्री एस०एस० 7906044057	mdayurvedica@gmail.com	mdayurvediccollege.in
74	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	डा० जी० वनजा रानी 9642224621	gangasheel.ayurveda@gmail.com	www.gangasheelayurvedacollege.org











Annexure A

आयुर्वेद

क्र० स०	निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कालेज	सीट	शुल्क
1	एस.एन.एस.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क- 90,000 प्रतिवर्ष
2	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,55,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 80,000 प्रतिवर्ष साधारण छात्रावास-ए.सी.सहित 1,40,000 प्रतिवर्ष छात्रावास-कूलर सहित 96,000 प्रतिवर्ष
3	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हास्पिटल, चुनार, मिर्जापुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,30,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-डबल सीटर 1,30,284 प्रतिवर्ष छात्रावास-ट्रीपल सीटर- 97020 प्रतिवर्ष
4	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हरहुआ, वाराणसी	60	शिक्षण शुल्क-2,55,500 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क- 1,10,100 प्रतिवर्ष
5	अरनव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सतरिख, बाराबंकी।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-96,000
6	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रिसर्च सेंटर, कमलापुर, चन्दौली।	60	शिक्षण शुल्क-2,60,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-84,000 प्रतिवर्ष
7	आर०बी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जलेसर रोड, आगरा	100	शिक्षण शुल्क-2,52,400 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
8	राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, नबाबगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-80,000 प्रतिवर्ष
9	गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा बालापार मानीराम, गोरखपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,65,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 75,000 प्रतिवर्ष नॉन ए.सी. बालक हेतु छात्रावास-शुल्क 1,25,000 प्रतिवर्ष ए.सी. बालक

Bish

Hall

			हेतु मौ पाटेश्वरी बालिका छात्रावास एवं मैस- शुल्क 65,000 प्रतिवर्ष नॉन ए.सी.डबल सीट/ट्रिपल सीट शुल्क 1,05,000 प्रतिवर्ष डबल सीट, ए.सी. मीरा बाई महिला छात्रावास एवं मैस - शुल्क 85,000 प्रतिवर्ष नॉन ए.सी.डबल सीट शुल्क 1,00,000 प्रतिवर्ष ए.सी. डबल सीट.
10	सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड महामृत्युंजय हॉस्पिटल, इटोरा चन्डेश्वर, आजमगढ़	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-80,000 प्रतिवर्ष
11	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लाडनपुर कोपागंज, मऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,48,000 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-72,000 प्रतिवर्ष
12	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,100 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-डबल सीटर 70,000 प्रतिवर्ष छात्रावास-सिंगल सीटर- 85,000 प्रतिवर्ष
13	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,200 प्रतिवर्ष काशनमनी-40,800 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
14	आर0के इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बुखारा रोड, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-72,000 प्रतिवर्ष
15	विवेक कालेज ऑफ आयुर्वेदिक साइन्सेज एण्ड हॉस्पिटल, बिजनौर।	100	शिक्षण शुल्क-2,70,000 प्रतिवर्ष (अल्पसंख्यक कालेज) काशनमनी-5,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,10,000 प्रतिवर्ष
16	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,60,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 1,10,000 प्रतिवर्ष साधारण छात्रावास-ए.सी.सहित 1,50,000 प्रतिवर्ष
17	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ।	100	शिक्षण शुल्क-3,00,000 प्रतिवर्ष (अल्पसंख्यक कालेज) काशनमनी-25,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,10,000 प्रतिवर्ष
18	एन्काइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, परवर पूरब, मोहनलालगंज, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,53,900 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 1,00,000 प्रतिवर्ष
19	महात्मा गांधी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर खसरवारा बन्थरा, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी)

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks

			छात्रावास-शुल्क 85,000 प्रतिवर्ष सिंगल रीट ए. सी. एवं 80,000 मैरा शुल्क अलग से छात्रावास-72,000 प्रतिवर्ष डबल रीट ए.सी. एवं 80,000 मैरा शुल्क अलग से
20	एस0के0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य
21	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एवं रिसर्च सेन्टर, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,55,700 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 95,000 प्रतिवर्ष
22	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, भाऊपुर, फतेहगढ़ फर्सखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,28,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 1,71,200 प्रतिवर्ष
23	इन्स्टीट्यूट आफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, विमलार्जुन नगर भागूखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,51,200 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी)
24	धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,52,200 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 90,000 प्रतिवर्ष
25	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर वाराणसी।	60	शिक्षण शुल्क-2,69,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 2,00,000 प्रतिवर्ष
26	के0वी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बकशपुर, गाजीपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास-शुल्क 80,000 प्रतिवर्ष
27	सी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मरेहारा रोड, एटा।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-80,000 प्रतिवर्ष
28	विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हरदौली कानपुर नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
29	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रुड़की रोड पो0 बरेली, मुजफ्फरनगर।	90	शिक्षण शुल्क-3,00,000 प्रतिवर्ष (अल्पसंख्यक कालेज) काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष नॉन ए.सी. छात्रावास शुल्क-1,30,000 प्रतिवर्ष ए.सी.
30	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुडाना, अमरोहा।	100	शिक्षण शुल्क-2,50,900 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-कुलर युक्त 84,000 प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क- ए.सी. युक्त 1,25,000 प्रतिवर्ष

[Handwritten signatures and marks]

31	जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, एन०एच० 24 पिलखुआ, हापुड।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,700 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
32	भगवन्त आयुर्वेदिक कालेज एंव हास्पिटल, मुजफ्फर नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-65,000 प्रतिवर्ष
33	आर०के० आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, सठियांव, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,30,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-72,000 प्रतिवर्ष
34	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मान्धाना, कानपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,36,500 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,20,000 प्रतिवर्ष
35	श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, धनुपुरा, मुरादाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-80,000 प्रतिवर्ष
36	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कोइलहा, कौशाम्बी।	54	शिक्षण शुल्क-2,59,000 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी)
37	ओ०डी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, कोयल, राया, मथुरा।	52	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-20,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
38	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर एस०डी० सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,52,900 प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क-95,000 प्रतिवर्ष
39	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, चुनार, मीरजापुर।	95	शिक्षण शुल्क-2,51,400 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,05,000 प्रतिवर्ष
40	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, पंछी, मेरठ।	44	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-90,000 प्रतिवर्ष मैसेस सहित
41	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, सुन्दरपुर, सहारनपुर।	42	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क-1,10,000 प्रतिवर्ष
42	श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलीगढ़।	100	शिक्षण शुल्क-2,57,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-90,000 प्रतिवर्ष
43	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, ग्राम व पोस्ट-गौरहा, कासगंज।	48	शिक्षण शुल्क-2,35,700 प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क-78,000 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य
44	नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुबेरपुर, आगरा।	100	शिक्षण शुल्क-3,00,000 प्रतिवर्ष (अल्पसंख्यक कालेज) छात्रावास शुल्क-नॉन ए.सी. 1,00,000 प्रतिवर्ष

[Handwritten signatures and marks]

			ए.सी.1,30,000 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य
45	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्राम बक्काखेड़ा, माल, मलिहाबाद रोड, लखनऊ।	50	शिक्षण शुल्क-2,45,700 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-48,000 (विद्युत शुल्क एवं भोजन शुल्क अलग से)
46	कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हासमपुर, पो0 झालू जिला बिजनौर।	57	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-60,000 प्रतिवर्ष मस सहित
47	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा।	90	शिक्षण शुल्क-2,32,100 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-78,000 प्रतिवर्ष
48	मंगलायतन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अलीगढ़।	51	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-20,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-नॉन ए.सी. 90,000 प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क-ए.सी. 1,20,000 प्रतिवर्ष
49	ए0एन0ए0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	57	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-80,000 प्रतिवर्ष
50	बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मरतीगंज, आजमगढ़।	51	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-84,000 प्रतिवर्ष
51	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, मिर्जापुर, सहारनपुर।	57	शिक्षण शुल्क-2,51,300 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-88,000 प्रतिवर्ष
52	डा0 शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नयनसंद, गौराबादशौहपुर, जौनपुर।	57	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
53	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, आगरा रोड, हाथरस।	49	शिक्षण शुल्क-2,38,900 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-90,000
54	शान्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज, शान्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, बलिया।	36	शिक्षण शुल्क-2,55,800 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-72,000
55	स्वाती हास्पिटल एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, तवली, मुजफ्फरनगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-80,000 प्रतिवर्ष
56	कुँवर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर आदर्श इन्स्टीट्यूट एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह, सहारनपुर।	75	शिक्षण शुल्क-2,52,100 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी)

Handwritten signature

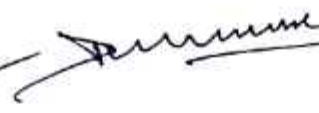
Handwritten signatures and marks

			छात्रावास शुल्क-80,000 प्रतिवर्ष
57	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा।	95	शिक्षण शुल्क-2,45,400 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी)
58	सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, भीरगंज, बरेली।	57	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-48,000 प्रतिवर्ष तथा 48,000 मैसे प्रतिवर्ष
59	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, अलीगढ़।	100	शिक्षण शुल्क-2,54,200 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य छात्रावास शुल्क-90,000 प्रतिवर्ष
60	श्री सन्तानपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-90,000 प्रतिवर्ष
61	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड मेडिकल साइन्स, कोठी मंघाना, कानपुर नगर।	80	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-नॉन ए.सी. 1,10,000 प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क- ए.सी. युक्त 1,60,000 प्रतिवर्ष
62	आई0आई0एम0टी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, मेरठ।	54	शिक्षण शुल्क-2,39,200 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क- 1,65,000 प्रतिवर्ष
63	प्रकाश इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, झोंझर, बुलन्दशहर।	57	शिक्षण शुल्क-2,60,500 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
64	श्री राम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ।	54	शिक्षण शुल्क-2,58,700 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
65	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, जे0पी0 नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,49,300 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-कुलर युक्त 84,000 प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क- ए.सी. युक्त 1,25,000 प्रतिवर्ष
66	द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल, खुशालीपुर, सहारनपुर।	51	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,00,000 प्रतिवर्ष
67	जावित्री इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंसेज, मोहनलालगंज, लखनऊ।	42	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-90,000 प्रतिवर्ष
68	रोहिलखण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, दोहरा रोड बरेली।	51	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-1,20,000 प्रतिवर्ष

Rich

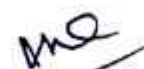
Hall *Dr. Arun Kumar* *Dr. J. K. Singh* *Dr. A. K. Singh* *Dr. J. K. Singh*

69	डा० सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज फखरपुर, महरी, बहराईघ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-72,000 प्रतिवर्ष
70	गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000(वापसी) छात्रावास शुल्क-नॉन ए.सी. ट्रिपल -84,500 प्रतिवर्ष
71	कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, नवाबगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-30,000 (वापसी)
72	श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर छाता, नधुरा।	95	शिक्षण शुल्क-2,54,200 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-90,000 प्रतिवर्ष
73	एम०डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सिकन्दरा, आगरा।	60	शिक्षण शुल्क-2,48,900 प्रतिवर्ष काशनमनी-शून्य
74	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	100	शिक्षण शुल्क-2,70,600 प्रतिवर्ष काशनमनी-50,000 (वापसी) छात्रावास शुल्क-90,000 प्रतिवर्ष
	योग	5491	







होम्योपैथी

क्र०सं०	निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	100	शिक्षण शुल्क-रु० 2,75,000/- प्रथम वर्ष सुरक्षा शुल्क-रु० 20,000/- छात्रावास शुल्क (रुपये प्रतिवर्ष) एयरकूलड 4 बेड-1,20,000/- ए०सी० 4 बेड-1,30,000/-
2	जी०सी० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, चन्द्रिका देवी रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-रु० 2,00,000/- प्रति वर्ष सुरक्षा शुल्क-रु० 50,000/- (रिफंडेबल) छात्रावास शुल्क (रुपये प्रतिवर्ष) सामान्य 3 बेड-90,000, 2 बेड-1,15,000/- ए०सी० 3 बेड-1,05,000, 2 बेड-1,35,000/- एयरकूलड 3 बेड-95,000, 2 बेड-1,20,000/-
3	नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, तहसील-एत्मादपुर, आगरा।	90	शिक्षण शुल्क-रु० 2,00,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क प्रतिवर्ष महिला -रु० 1,10,000/- नान ए०सी० रु० 1,40,000/- ए०सी० पुरुष -रु० 1,40,000/- नान ए०सी० रु० 1,80,000/- ए०सी०
4	सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गुलेरिया, अमरौहा।	54	शिक्षण शुल्क-रु० 1,50,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क प्रति वर्ष 6 बेड युक्त आवास और भोजन-75,000/- 4 बेड युक्त आवास और भोजन-80,000/- 3 बेड युक्त आवास और भोजन-85,000/- 2 बेड युक्त आवास और भोजन-95,000/- ए०सी०-15,000/-
योग		344	

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

यूनानी

	निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा वाया सरायमीर आजमगढ़।	50	शिक्षण शुल्क-2,00,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क-15,000/- प्रति वर्ष
2	जामिया तिब्बिया, देवबन्द, जी-टी रोड, देवबन्द, जिला-सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क एवं मेस सिंगल सीटेड -72,000/- प्रति वर्ष
3	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, न्यू बॉस निकट तलहेडी चुंगी, देवबन्द, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क -2500/- प्रति माह
4	अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,60,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क-90,000/- प्रति वर्ष
5	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,90,400/- प्रति वर्ष कॉशनमनी -5,000/- (केवल प्रवेश के समय) छात्रावास/मेस शुल्क सिंगल सीटेड -1,14,000/- प्रति वर्ष
6	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, हयात काम्पलेक्स, हरदोई रोड, काकोरी, लखनऊ।	57	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क -1,08,000/- प्रति वर्ष कॉशनमनी-10,000/- एक बार
7	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेड मेस सहित-85,000/- प्रति वर्ष
8	डा0 अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,05,000/- प्रति वर्ष कॉशनमनी-10,000/- (केवल प्रवेश के समय) छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेड-7,000/- प्रति माह
9	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कालेज, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग, स्टेट हाइवे-57 सहारनपुर -247121	48	शिक्षण शुल्क-1,70,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेड-88,000/- से 1,36,000/- तक प्रति वर्ष
	कुल योग	515	